एल.आर.सी. अ.मा. जू. मर्द 2

फर्द अहकाम

गंगी/बानो बनाम संयुक्त कृषी

यालय

या

50/25 ग्रा.प.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
2 7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी-1 भी अनुपस्थित है। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 11 7/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
11 7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 40/2025

1. भंवरी बानो पुत्री मुनीर खां
2. खातुन बानो पुत्री मुनीर खां
3. जैतुन बानो पुत्री मुनीर खां
4. अल्लानुर खां पुत्र मुनीर खां
5. जुम्मन खां पुत्र मुनीर खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर हाल निवासी मक्का मजिस्द के पास झोटवाडा जयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. संयुक्त कृषि सहकारी समिति लिमिटेड खोराबीसल जरिये अध्यक्ष / मंत्री / सदस्य एवं प्राधिकृत व्यक्ति पता प्लाट नम्बर 12 मक्का कॉलोनी झोटवाडा जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुराडाबडी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय रामपुराडाबडी तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर।
4. उप रजिस्टार सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण पता कमरा नम्बर 609, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय बनीपार्क जयपुर।

........अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 11.07.2025

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा पटवार हल्का नांगल सिरस भू अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 538 रकबा 2.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537/885 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538/809 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540/810 रकबा 1. 0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540/807 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538/808 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 536/884 रकबा 0. 1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/883 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 11. 34 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र के पद नम्बर 2 में वर्णित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 173 रकबा 142 बीघा 18 बिस्वा है। जिसके हाल खसरा नम्बर 494/883, 535, 536/884, 537/885, 538, 538/798, 538/799, 538/800, 538/808, 538/809,538/812, 538/813, 540, 540/807, 540/810, 540/811, 540/840, 541, 542, 543/815, 544, 544/801, 545, 545/802, 545/803, 545/816, 546, 546/804, 546/805, 546/817, 546/818, 546/819, 546/820, 547, 547/806 कुल किता 6 कुल रकबा 36. 0200

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:21 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

हैक्टेयर है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 173 में से 50 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र खातेदार नारायण पूत्र बालू से वर्ष 1962 को प्रार्थीगण के पिता मुनीर खां पुत्र लालू खां ने क्रय की है अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त सहकारी समिति लि. खोरा बिसल राजस्थान सहकारी समितियां अधिनिमय के प्रावधानो के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतू पंजीकृत कृषि सहकारी समिति है जो छोटे छोट किसानो की जमीनो को एकत्रित करने सगठित रूप से कृषि कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ताकि छोटे किसानो को कृषि कार्य से फायदा प्राप्त हो सके। उक्त समिति के नाम नामान्तकरण दिनांक 02–09–1963 को खोला गया। तथा उक्त समिति में ही प्रार्थीगण के पिता की क्रयशुदा 50 बीघा भूमि सम्मलित की गई हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 538 रकबा 2.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 रकबा 2. 0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 / 885 रकबा 0. 2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538 / 809 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 / 810 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 / 807 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538 / 808 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 536 / 884 रकबा 0. 1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 / 883 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 11. 34 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि को साबिक खसरा नम्बर 173 से जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता मुनीर खां द्वारा क्रय कर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा मुनीर खां के इन्तकाल के बाद प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त समिति अपने वैधानिक उद्देश्यो में सफल नही हो सकी इससे उक्त समिति का विघटन हो गया। तत्पश्चात् उक्त आराजी पुनः प्रार्थीगण के पिता मुनीर खां पुत्र लालू खां के नाम राजस्व रिकॉड में सम्वत 2054–2055 के नाम दर्ज अंकित हुई, परन्तु समिति विघटन के समय उक्त आराजी में से प्रार्थीगण के पिता मुनीर खां के नाम से केवल खसरा नम्बर 537 / 885, 538, 540 कुल किता 3 कुल रकबा 4.9400 हैक्टेयर ही राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 1 समिति के विघटन के पश्चात् सोसायटी के पदाधिकारियो द्वारा मिलभगत कर प्रार्थीगण की खाते की भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 2.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 / 885 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538 / 809 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 / 810 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 / 807 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538 / 808 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 536 / 884 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 / 883 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 11.34 हैक्टेयर को पुनः समिति के नाम दर्ज कर दिया। जबकि समिति का अस्तित्व पूर्व में ही समाप्त हो चुका था तथा उक्त आराजी समिति द्वारा पुनः भूमि उनके पूर्व खातेदारो को प्रदत्त कर दी जिसके उपरान्त प्रार्थीगण के पिता मुनीर खां के नाम केवल 4.94 हैक्टेयर भूमि का ही राजस्व रिर्कोड में सम्वत 2054–2055 में दर्ज की गई। तथा प्रार्थीगण के पिता के मुनीर खां के नाम की शेष भूमि 6.40 हैक्टेयर समिति के नाम रही। अप्रार्थी संख्या 1 समिति व उसके सदस्यो ने मिलीभगत कर समिति के विघटन के पश्चात राजस्व कर्मचारियो से मिलभगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

प्रार्थीगण के पिता के नाम सम्वत 2054–2055 में दर्ज भूमि एवं शेष रही भूमि को पुनः समिति के नाम दर्ज करवा ली तथा अवैध तरीके से प्रार्थीगण के पिता की नाम की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 बेचान करने पर आमदा है जिस कारण प्रार्थीगण को यह वाद पत्र पेश कर अप्रार्थी को पाबंध करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने पिता की क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 2.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537/885 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538/809 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540/810 रकबा 1. 0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540/807 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538/808 रकबा 2.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0. 5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 536/884 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494/883 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 11.34 हैक्टेयर पर बहिस्सा बराबर बराबर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अप्रार्थी सख्या 1 का वर्तमान में उक्त आराजी पर किसी प्रकार कोई कब्जा काश्त नही है। यदि वे भूमि को बैचान कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जाहिर किया है कि साबिक खसरा नम्बर 173 से जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता मुनीर खां द्वारा क्रय कर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है, परन्तु प्रार्थीगण ने इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है इसके अतिरिक्त प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि वर्तमान में अप्रार्थीगण को क्यो पाबंद किया जावे। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया की अप्रार्थीगण उक्त आराजी को खदु फुर्द कर रहे हो ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर